राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)
E-mail ID <npcdcsrajasthan@gmail.com> Contact No. : 0141-2228728

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः एनसीडी/प्रशिक्षण/2020/ 581 दिनांक 28/7/2020

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः– कोविड–19 महामारी के दौरान एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत आशाओ,एएनएम, एलएचवी, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर के प्रशिक्षण के संबंध में।

संदर्भः– मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक F.42(7)NHM/HWC/2020-21/324 दिनांक 16.07.2020, डॉ. एन. युवराज, निदेशक (एनएचएम) Ministry of Health & Family Welfare, Government of India के पत्रांक F.No. 0-11011/3/2017-NHM-II Dated 13-07-2020 एवं निदेशक (जन स्वा0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर के पत्रांक एनसीडी/प्रशिक्षण/2019–20/479 दिनांक 16.07.19 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित एवं विषयान्तर्गत लेख है कि एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर कार्यरत आशा, एएनएम, एलएचवी, स्टाफ नर्स, मेडिकल ऑफिसर के प्रशिक्षण सेक्टर स्तर पर राज्य अथवा जिला स्तर पर प्रशिक्षित प्रशिक्षक के द्वारा पूर्व की तरह ही दिये गये संलग्न दिशा–निर्देशों यथा 20–25 प्रशिक्षणार्थियों का बैच, आशा (5 दिवस), एएनएम, एलएचवी, स्टाफ नर्स एवं मेडिकल ऑफिसर (3 दिवस) के अनुरूप ही कोविड–19 संबंधी सभी सावधानियां एवं संलग्न S.O.P. अपनाते हुये प्रशिक्षण की योजना बना शीध्र अतिशीध्र करवाया जाना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण हेतु उक्त प्रशिक्षणार्थियों को जिला स्तर अथवा ब्लॉक स्तर पर बुलाये जाने की बाध्यता नहीं हैं। यह प्रशिक्षण सेक्टर स्तर पर अथवा वी.सी. के माध्यम से भी करवाये जा सकते हैं।

शीध्र ही राज्य स्तर से भी वी.सी. आयोजित कर समस्त हैल्थ वेलनेस के कार्मिकों का आमुखीकरण किया जावेगा।

संलग्न :–1. पूर्व में जारी प्रशिक्षण के दिशा–निर्देश।
2. Order No. 40-3/2020-DM-(A) of Ministry of Home Affairs (MHA)
3- OM No. 19011/1/2020-TFA of Department of Personnel and Training. (DoPT)

मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं
विशिष्ठ शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
जयपुर (राजस्थान)

क्रमांकः एनसीडी/प्रशिक्षण/2020/ 581 दिनांक – 28/7/2020

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
3. निजी सहायक, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम।
4. निजी सहायक, निदेशक (जन स्वा.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. विशेषाधिकारी, एनएचएम, जयपुर।
6. स्टेट नोडल ऑफिसर, प्रशिक्षण, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–राजस्थान।
8. समस्त उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वा.) एवं प्रभारी अधिकारी, एनसीडी, राजस्थान।
9. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, समस्त राजस्थान।
10. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी/पीएचसी/यूपीएचसी।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक, एनएचएम, समस्त राजस्थान।
12. जिला कार्यक्रम अधिकारी/समन्वयक/फाईनेन्स कन्सलटेन्ट (एनसीडी), राजस्थान।
13. प्रभारी सर्वर रूम।
14. कार्यालय प्रति।

स्टेट नोडल ऑफिसर (एनसीडी)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर
(राजस्थान)

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)
E-mail ID <npcdcsrajasthan@gmail.com> Contact No. : 0141-2388020

क्रमांकः एनसीडी/प्रशिक्षण/2019-20/ 479 दिनांक 16.07.19

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर (एनसीडी)
राजस्थान।

विषयः—एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के अन्तर्गत हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर जनसंख्या आधारित एनसीडी सर्वे/स्क्रीनिंग के प्रशिक्षण से संबंधित दिशानिर्देश।

संदर्भः—निदेशक (जन स्वा.) के पत्रांक एनसीडी/प्रशिक्षण/2019—20/378 दिनांक 25.06 2019 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिलों के चयनित हैल्थ वेलनेस सेन्टर (HWC) पर जनसंख्या आधारित एनसीडी सर्वे तथा स्क्रीनिंग किया जाना है।

उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (3 दिवस), स्टाफ नर्स (3 दिवस), एएनएम/एलएचवी (3 दिवस) तथा आशा (5 दिवस) का प्रशिक्षण जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर करवाया जाना है।

उपरोक्त प्रशिक्षण हेतु आपकी सुलभ सुविधा तथा जिलों में प्रशिक्षण समरूपता से हो इस हेतु आपको संलग्नानुसार आशा, एएनएम के प्रशिक्षण की PPT, Guidelines, Agenda तथा प्री—पोस्ट टेस्ट का प्रारूप पूर्व में ही भिजवा दिया गया है।

इसके अतिरिक्त आपको निम्नानुसार प्रशिक्षण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान किये जाते है जिन्हें ध्यान में रखते हुये ही आपको प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करना हैः—

1. उपरोक्त प्रशिक्षण राज्य स्तर से प्रशिक्षित प्रशिक्षण (ToT) द्वारा ही दिया जाना है। इस हेतु राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से ToT तैयार किये जा रहे है जिसमें समस्त बीसीएमओ, सीएससी इंचार्ज तथा प्रत्येक ब्लॉक से दो आशा ToT तैयार किये जा रहे है।
2. चूंकि आशा और एएनएम की भूमिकाएं एक दुसरे के पूरक होते हुये भी ये अलग—अलग है। इसलिए प्रशिक्षण पश्चात् उनकी योग्यताएं भी अलग—अलग होंगी। आशा का कार्य फेमिली सर्वे, स्क्रीनिंग हेतु कम्यूनिटी मॉबिलाईजेशन, स्वास्थ्य प्रोत्साहन तथा फॉलोअप है। एएनएम का असंक्रामक बीमारी की स्क्रीनिंग यथा बीएमआई, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मुंह (OVE) एवं स्तन (Clinical Breast Examination) कैंसर की स्क्रीनिंग करना तथा किया गया सर्वे एवं स्क्रीनिंग का एनसीडी पोर्टल पर इन्द्राज करवाना, रिपोर्टिंग, रैफरल एवं फॉलोअप में कुशल होना आवश्यक हैं। अतः यह आवश्यक है कि आशा एवं एएनएम के प्रशिक्षण में आशा ToT के अतिरिक्त पैरामेडिकल तथा मेडिकल स्टाफ द्वारा भी उनका प्रशिक्षण किया जावे ताकि वे उपरोक्तानुसार अपने कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकें।
3. बच्चेदानी के मुंह का कैंसर की स्क्रीनिंग (VIA) HWC/पीएचसी/सीएचसी पर कार्यरत महिला सीएचओ/स्टाफ नर्स/चिकित्सक की सूची तैयार कर राज्य स्तर पर भिजवाई जावें ताकि भविष्य में नियमानसार उनका VIA का प्रशिक्षण करवाया जा सकें।
4. प्रशिक्षण के समय यह सुनिश्चित किया जावें कि आशा तथा एएनएम दोनों को ही कमर की माप, लम्बाई, वजन लेने, BMI की गणना करना एवं असंक्रामक बीमारी के बचाव हेतु स्वास्थ्य प्रोत्साहन देने के संबंध में पूर्ण जानकारी हो।
5. आशा तथा एएनएम के प्रशिक्षण का अन्तिम दिन अर्थात आशा के प्रशिक्षण का 5वां तथा एएनएम के प्रशिक्षण के तीसरे दिवस पर उनकी एक साथ फिल्ड विजिट तथा पीएचसी विजिट करवाई जानी हैं ताकि उनके द्वारा लिये गये प्रशिक्षण का सही मूल्यांकन किया जा सकें। फिल्ड विजिट के दौरान आशा तथा एएनएम द्वारा लिये गये प्रशिक्षण के अनुसार कम से कम 10 घरों का फेमिली सर्वे एवं सर्वे के समय 30 या अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों की गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग यथा बीएमआई, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, मुंह (OVE) एवं स्तन (Clinical Breast Examination) कैंसर की स्क्रीनिंग की जावें।

16.7.19

6. पीएचसी विजिट के समय आशा एवं एएनएम का उक्त पीएचसी पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारी से परिचय करवाना तथा चिकित्सक द्वारा प्रचार–प्रसार की सामग्री, वजन, उंचाई, BMI, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनेशन, ऑरल विज्वल एक्जामिनेशन इत्यादि की जानकारी देना।
7. प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षार्थी का प्री एवं पोस्ट टेस्ट आवश्यक रूप से लिया जावें तथा पोस्ट टेस्ट में 70 प्रतिशत या अधिक अंक आने पर ही प्रशिक्षण में सफल माना जावें। यदि कोई प्रशिक्षार्थी 70 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रशिक्षण पुनः करवाया जावें।
8. आशा के प्रशिक्षण में आशा के साथ–साथ संबंधित ब्लॉक तथा पीएचसी के हैल्थ सुपरवाईजर, ब्लॉक हैल्थ सुपरवाईजर तथा पब्लिक हैल्थ मैनेजर को भी प्रशिक्षित किया जावें ताकि वे कार्यक्रम की सफल मॉनिटरिंग तथा सुपरविजन कर सकें।
9. प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान ही आवश्यक रूप से राज्य स्तर से प्रदान की गई गाईडलाईन की हार्ड कॉपी दी जावें।
10. आशा का प्रशिक्षण राज्य आशा सैल द्वारा जारी की गई एनएचएम/आरसीएच गाईडलाईन के अनुरूप ही दी जावें।
11. आशा तथा एएनएम के प्रशिक्षण के दौरान केस स्टडी तथा फिल्ड प्रेक्टिस सहित भागीदारी विधियों का उपयोग करके क्लास रूम स्टेडी के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जावें। प्रशिक्षण में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनेशन तथा ऑरल विज्वल एक्जामिनेशन के प्रशिक्षण हेतु प्रेक्टिकल सत्र भी शामिल किये जावें। इस हेतु प्रशिक्षुओं को हैल्थ फेसिलिटी की विजिट भी कराई जानी है। प्रशिक्षण विधियों में व्याख्यान, नैदानिक मामले प्रदर्शन और केस अध्ययन प्रस्तुतियां शामिल हो।
12. प्रशिक्षण बेच साईज में प्रशिक्षुओं की संख्या 30 से अधिक ना हो।
13. प्रशिक्षण के पश्चात् भी आशा तथा एएनएम के सुपरवाईजर द्वारा **पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट तथा ऑन जॉब मेन्ट्रिंग** दिया जाना चाहिए।

अतः आपको भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रशिक्षण से संबंधित दिशानिर्देशानुसार ही प्रशिक्षण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

16.7.19

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः NCD/प्रशिक्षण/2019-20/ 479 दिनांक 16.7.19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक (एनएचएम)।
3. निजी सचिव, अति. मिशन निदेशक, एनएचएम एवं निदेशक, आईईसी, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.), मुख्यालय।
5. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी एनसीडी समस्त राजस्थान।
6. समस्त जिला एनसीडी सेल को पालनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम।
8. कार्यालय प्रति।

16.7.19

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
स्टेट हैल्थ सोसायटी (एन.सी.डी.)
E-mail ID <npcdcsrajasthan@gmail.com> Contact No. : 0141-2388020

क्रमांकः एनसीडी/HWC/UNS/2019–20/ दिनांक

हैल्थ वेलनेस सेन्टर (HWC) एवं यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग केन्द्रों पर की जा रही जनसंख्या आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग तथा चिकित्सालय के ओपीडी में ऑपोरच्यूनिटी एनसीडी स्क्रीनिंग के संबंध में निम्न जानकारी होनी चाहिए

आशा सहयोगिनी

1. **एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम का पूरा नामः–** नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिज कॉर्डियोवास्कुलर डिजिज (हृदय रोग) एण्ड स्ट्रोक (लकवा)। इसमें उक्त 4 बीमारी का बचाव एवं उपचार किया जाता है। वर्तमान में इस कार्यक्रम में दो अन्य बीमारी यथा श्वास (दमा) की बीमारी, गुर्दे की खराबी सम्मिलित हैं।
2. **गैर संचारी रोग के कारणः–**

   परिवर्तित कारक–
   - i. धुम्रपान का सेवन
   - ii. शराब का सेवन
   - iii. मोटापा
   - iv. अस्वस्थ्यकारी भोजन
   - v. आलसी जीवनशैली
   - vi. तनाव

   अपरिवर्तित कारक–
   - i. उम्र
   - ii. पारिवारिक कारक

   यदि किसी व्यक्ति को सीबेक (CBAC) फॉर्म भरते समय परिवर्तित जोखिम कारक पाया है तो आशा सहयोगिनी द्वारा उस व्यक्ति को परामर्श के माध्यम से हैल्थ प्रोत्साहन करते हुये जोखिम कारक को छोड़ने की सलाह दी जावें।
3. **जनसंख्या आधारित एनसीडी स्क्रीनिंग (PBS):–** हैल्थ वेलनेस सेन्टर व यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिग केन्द्रों में की जाती है।
4. **ऑपोरच्यूनिटी एनसीडी स्क्रीनिंगः–**चिकित्सालयों की ओपीडी में की जाने वाली गैरसंचारी रोग की स्क्रीनिंग।

जनसंख्या आधिारित एनसीडी स्क्रीनिंग (PBS):–

- **फेमिली सर्वे**–आशा सहयोगिनी के क्षेत्र में रह रहे सभी परिवारों का फेमिली सर्वे उसी क्रम में किया जावें जो अन्य सर्वे में पूर्व में निर्धारित है (1 से अन्तिम परिवार)।
- **समुदाय आधारित मूल्यांकन प्रपत्र [सीबेक (CBAC)]**–फेमिली सर्वे के उपरान्त 30 से 65 आयुवर्ग के व्यक्तियों की गणना की गई है उन सभी व्यक्तियों का सीबेक (CBAC) फॉर्म भरा जावें। सीबेक (CBAC) फॉर्म का पूर्ण नाम एवं उसके प्रत्येक कॉलम की जानकारी होनी चाहिए।

- कमर की नाप नाभी (Umbilicus) के उपर से से.मी. में नापी जावें। कमर की नापने का तरीका एवं सामान्य कमर की नाप ज्ञात होनी चाहिए।
- CBAC फॉर्म में कुल स्कोर निकालने का तरीका निकालना आना चाहिए एवं यदि 4 व अधिक स्कोर आता है तो उसको हाईरिक्क (जोखिम) समुह में मानते हुये उनकी अलग से सूची तैयार की जावें।
- हाईरिस्क (जोखिम) समूह में सम्मिलित व्यक्तियों की प्राथमिकता से गैरसंचारी रोग यथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह एवं कॉमन कैंसर (मुंह एवं स्तन) की स्क्रीनिंग एएनएम और कम्यूनिटी हैल्थ ऑफिसर (सीएचओ) द्वारा आउटरीच कैम्प आयोजित करते हुये की जानी है वैसे सभी 30 से 65 आयुवर्ग के व्यक्तियों की वर्ष में एक बार उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह की तथा कॉमन कैंसर की स्क्रीनिंग 5 वर्ष में एक बार की जानी है।
- बच्चे दानी के मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं इससे उच्च स्तर के चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी या स्टाफ नर्स द्वारा की जानी है।
- 30 से 65 आयुवर्ग के व्यक्तियों का सीबेक (CBAC) फॉर्म भरना एवं उसकी गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग हेतु मॉबिलाईजेशन करने पर 10/– रू. प्रति व्यक्ति तथा गैर संचारी रोग यथा उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह से ग्रसित मरीज का 6 माह तक फॉलोअप करने पर 50/– रू. प्रतिव्यक्ति दिये जाते है।

<u>एएनएम/एलएचवी</u>

- आशा सहयोगिनी की जानकारी का ज्ञान होना चाहिए।
- ब्लड प्रेशर एवं ब्लड शुगर जांच करने का तरीका आना चाहिए।
- मुंह के कैंसर की स्क्रीनिंग–ऑरल विज्यूवल एक्जामिनेशन (OVE) जांच करने का तरीका आना चाहिए।
- स्तन के कैंसर–क्लिनिकल ब्रेस्ट एक्जामिनेशन (CBE) जांच करने का तरीका आना चाहिए।
- बच्चेदानी के मुंह (Cervix) के कैंसर की स्क्रीनिंग– विज्यूवल इन्स्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड (VIA)
- सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 से कम, ब्लड प्रेशर होने की सम्भावना 120–139/80–89 एवं उच्च रक्तचाप 140/90 (mm/Hg) या अधिक।
- सामान्य ब्लड शुगर–फास्टिंग 110 एवं रेण्डम 140 से कम, मधुमेह की सम्भावना फास्टिंग 110 से 126 एवं रेण्डम 140 से 200 तथा मधुमेह फास्टिंग 126 या अधिक एवं रेण्डम 200 (mg/dl) या अधिक।
- BMI- 18 से 23 सामान्य, 23 से 25 मोटापा की सम्भावना, 25 kg/M^2 से अधिक मोटापा।

<u>चिकित्सा अधिकारी/स्टाफ नर्स</u>

- आशा सहयोगिनी एवं एएनएम की जानकारी का ज्ञान चाहिए।
- बच्चेदानी के मुंह (Cervix) का कैंसर– विज्यूवल इन्स्पेक्शन ऑफ एसिटिक एसिड (VIA) का तरीका आना चाहिए।

हैल्थ वेलनेस सेन्टर एवं यूनिवर्सल एनसीडी स्क्रीनिंग केन्द्रों में किया जाने वाला कार्य का विवरण

आशा सहयोगिनीः–

- फेमिली सर्वे।
- 30 से 65 आयुवर्ग के व्यक्तियों की गणना।
- उक्त आयुवर्ग के व्यक्तियों का CBAC फॉर्म भरना।
- हाईरिस्क (जोखिम) व्यक्ति के समूह की सूची तैयार करना।
- जिन व्यक्तियों का CBAC फॉर्म भरने के समय जोखिम का कारक पाया जाता है उनका परामर्श (काउन्सलिंग) के माध्यम से स्वास्थ्य प्रोत्साहन।
- एएनएम एवं सीएचओ द्वारा आउटरीच कैम्प आयोजन करने के समय गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग हेतु व्यक्तियों का मॉबिलाईजेशन करना।
- गैर संचारी रोग यथा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, लकवा एवं कैंसर से ग्रसित मरीजों की सूची तैयार करना।
- गैर संचारी रोग से ग्रसित मरीजों का फॉलोअप करना।

एएनएम एवं सीएचओः–

- फेमिली सर्वे का 10 प्रतिशत वेरिफिकेशन करना।
- उपकेन्द्र के अन्तर्गत हाईरिस्क (जोखिम) व्यक्ति के समूह की सूची तैयार करना।
- फेमिली सर्वे एवं CBAC फॉर्म भरे गये व्यक्तियों का एमओ पोर्टल के माध्यम से एनसीडी पोर्टल पर अपलोड करना।
- ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कॉमन कैंसर (मुंह एवं स्तन) की आउटरीच कैम्प आयोजित कर स्क्रीनिंग करना।
- BMI का माप करना (वजन कि.ग्रा. में/ऊंचाई मी^{2} में)।
- गैर संचारी रोग की स्क्रीनिंग के समय सम्भावित पाये गये मरीजों की सूची तैयार करना तथा अन्तिम निदान हेतु उच्च चिकित्सा संस्थान में रैफर करना।
- रैफर किये गये मरीजों का अन्तिम परिणाम मालूम करना। अन्तिम निदान के पश्चात् जिन व्यक्तियों के गैर संचारी रोग पाया जाता हैं उनकी सूची तैयार करना तथा उनका समय–समय पर फॉलोअप करवाना।
- बेहतर जीवन शैली अपनाने हेतु स्वास्थ्य प्रोत्साहन देना।
- जिन व्यक्तियों को गैर संचारी रोग की सम्भावना पाई गई है उनको एनसीडी पोर्टल पर इन्द्राज करवाना।
- माह में किये गये कार्य का एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम के प्रपत्र नम्बर 1 में रिपोर्ट भरने के पश्चात् एक प्रति स्वयं के पास रखते हुये दुसरी प्रति फॉर्म नम्बर 6 की रिपोर्ट के साथ संबंधित पीएचसी को प्रस्तुत करें।

चिकित्सा अधिकारी प्रभारीः–

- उक्त कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग एवं सुपरविजन करें।
- फेमिली सर्वे, CBAC फॉर्म भरने, सभी तरह की एनसीडी स्क्रीनिंग का कार्य गुणवत्तापूर्ण हो इस हेतु समय–समय पर भ्रमण के दौरान उक्त उक्त कार्य की जांच करें। कोई भी क्षेत्र द्वारा लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि नहीं प्राप्त होती है या कार्य गुणवत्ता में कमी होती है तो उस एएनएम/सीएचओ को सही कार्य करने हेतु निर्देशित करें।
- बच्चेदानी के मुंह (Cervix) के कैंसर कि VIA पद्धति के माध्यम से स्क्रीनिंग करना।
- उपकेन्द्र/हेल्थ वेलनेस सेन्टर/पीएचएम (HWC) से फॉर्म नम्बर 1 में रिपोर्ट लेते हुये सम्पूर्ण पीएचसी की रिपोर्ट फॉर्म 2 में सभी फॉर्म नम्बर 1 का योग करते हुये भरे।

- फॉर्म नम्बर 2 की एक प्रति कार्यालय ऑफिसर में रखे तथा दुसरी प्रति संबंधित ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें।
- सीएचओ/एएनएम द्वारा गैर संचारी रोग के सम्भावित पाये गये मरीजों को अन्तिम निदान हेतु पीएचसी पर भेजे गये है उनका अन्तिम निदान एवं उपचार करना।
- जिन मरीजों का अन्तिम निदान करने या उपचार करने परेशानी हो रही है उनको उच्च चिकित्सा संस्थान हेतु रैफर करना।
- जिन व्यक्तियों को गैर संचारी रोग की दवाई दी जाती है उनको दवाई कम से कम एक माह की दी जावें तथा उनको बेहतर जीवन शैली अपनाने के संबंध में परामर्श दिया जावें तथा उनको सलाह दी जावें कि एक माह के पश्चात् जो भी संबंधित जांचें करानी हैं वो आपके नजदीक के हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर जांच करावें।
- यदि जांच रिपोर्ट सामान्य पाई जाती है या किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं तो एक माह की दवाई हैल्थ वेलनेस सेन्टर पर सीएचओ के माध्यम से ली जावें।